

शिक्षा विभाग
बिहार सरकार
:: आदेश ::

पटना दिनांक— 21/09/2026

संचिका सं०—07/मु०—02—34/2026.2752/माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम०जे०सी० सं०—1195/2026 (सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०—20214/2025 से उद्भूत) किरण कुमारी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक—16.09.2026 को पारित आदेश के आलोक में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त अवमाननावाद सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०—20214/2025 से उद्भूत है, जिसमें दिनांक—16.12.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक—851 दिनांक—20.02.2026 निर्गत किया गया था, जिसमें स्थानांतरण नियमावली तैयार होने के उपरांत वादिनी के स्थानांतरण के मामले में प्राथमिकता के आधार पर विचार किये जाने का दिशा—निर्देश निर्गत हैं।

3. उक्त के क्रम में वादिनी द्वारा एम०जे०सी० सं०—1195/2026, किरण कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक—16.09.2026 को पारित न्यायादेश निम्नवत् है:—

" 4. Learned counsel for the petitioner submits that show-cause and supplementary show-cause has been filed on behalf of opposite party no. 3. It is further submitted that from perusal of para 6 of the supplementary show-cause, it would manifest that the same records that according to new transfer policy, Clause 3(ix) of the Bihar State Teacher Transfer Rules, 2023, teachers can generally be transferred every 5 years of their service but in case of special circumstances as that of the petitioner, teachers can be transferred according to Clause 4 and petitioner's case would be taken up on priority under the aforementioned clause. It is next submitted that merely based on pleadings made at para 6, it has been pleaded that the order of the Writ Court stands complied. It is also submitted that the show-cause and the supplementary show-cause are evasive and the authorities till date have not taken the decision with regard to the transfer of the petitioner based on her medical report.

5. Learned counsel appearing on behalf of the State seeks a week's time.

6. The Court, prima facie, is in agreement with the submissions made by the learned counsel appearing on behalf of the petitioner that the show-cause and the supplementary show-

cause on behalf of opposite party no. 3 is evasive but since the learned State Counsel is seeking time, hence, the Court, for the present, is giving the State another opportunity to take a final decision with respect to the petitioner considering her genuine medical condition.

7. *If no decision is taken within a period of one week from today, in that event, the show cause and the present show cause shall be rejected on the next date and the authorities competent shall be called for framing of charge.*

8. *Put up this case on 24.09.2026 at 12:45 p.m."*

4. ध्यातव्य हो कि माननीय न्यायालय में विभागीय स्तर से दायर पूरक कारण पृच्छा में बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली का वर्ष 2026 के स्थान पर वर्ष 2023 भूलवश टंकित होने कारण उपरोक्त आदेश में वर्ष 2023 अंकित है। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2023 निर्गत नहीं है बल्कि बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के अंतर्गत वर्तमान में ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों का स्थानांतरण प्रक्रियाधीन है। विदित हो कि विभागीय ज्ञापांक 822 दिनांक 28.07.2026 के द्वारा उक्त नियमावली अंतर्गत नये शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु प्रथम संव्यवहार में परीक्षा अवधि को शिथिल किया गया है।

5. उपरोक्त आदेश के आलोक में संदर्भित मामले में सुनवाई किये जाने हेतु विभागीय पत्रांक-2716 दिनांक-17.09.2026 द्वारा दिनांक-18.09.2026 को सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष निरूपित किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

6. उक्त निदेश के आलोक में वादिनी के अधिवक्ता दिनांक 18.09.2026 को सुनवाई में उपस्थित हुए एवं इनके पक्ष को सुना गया। वादिनी के पक्ष द्वारा यह अनुरोध किया गया कि वादिनी के गंभीर चिकित्सीय हालत तथा माननीय न्यायालय के न्यायादेश को ध्यान में रखते हुए उनका स्थानांतरण उत्क्रमित मध्य विद्यालय, केलबारी, बी0आर0सी0-बिथान, जिला-समस्तीपुर से उनके गृह जिला पटना के समीप के विद्यालय में किया जाय।

7. वर्तमान में विभाग द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-656 दिनांक-25.06.2026 अधिसूचित है, जिसके आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1058 दिनांक-16.09.2026 द्वारा सामान्य शिक्षकों के द्वारा ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक-04.10.2026 से 10.10.2026 के बीच किया जाना है। सामान्य शिक्षकों द्वारा उक्त ऑनलाइन आवेदन पर जिला/प्रमंडल/राज्य स्थापना समिति द्वारा शिक्षकों का सामान्य स्थानांतरण सूची का प्रकाशन, स्थानांतरण सूची पर अपील एवं अपीलों

का निष्पादन दिनांक-12.10.2026 से 18.11.2026 के मध्य किया जाना है। उपरोक्त के आलोक में वादिनी के द्वारा भी जिला स्थानान्तरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा।

8. वहीं वादिनी के गंभीर चिकित्सीय हालत एवं माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में तत्काल किरण कुमारी को मध्य विद्यालय कंडप (M.S. KANDAP, UDISE 10281000604), पंचायत कंडप तारनपुर, प्रखंड संपतचक, जिला पटना में उनके स्वस्थ होने तक प्रतिनियुक्त किया जाता है। उनके वेतन का भुगतान अनुपस्थिति विवरणी के आलोक में मूल विद्यालय से देय होगा। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विरमन/योगदान की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(कुमार निशांत विवेक)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक:-07 / मु0-02-34 / 2026.....2752

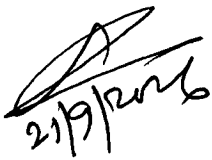
पटना, दिनांक:- 21/09/2026

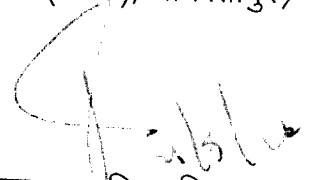
प्रतिलिपि:- 1. Kiran Kumari, D/o- Late Baldeo Yadav, Vidyalay Adhyapak (01-05) in UMS School, Kelbari, Block and BRC-Bithan, CRC- Sihma. District -Samastipur, PIN- 848207 को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3. श्री रवि शंकर सिंह, अपर राज्य परियोजना निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), समस्तीपुर/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


21/9/2026


निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।